भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2959

उत्तर देने की तारीख : 05.08.2026

अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न योजनाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का उपयोग

2959. श्री यदुवीर वाडियार:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपनी सभी योजनाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उपकरणों को उपयोग करने का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो क्या इसके उपयोग के उद्देश्य और क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(ख) इसमें शामिल किए गए राज्यों, उपयोग किए जाने वाले आंकड़ों की प्रकृति और शिकायत निवारण के लिए तंत्र सहित प्रायोगिक परियोजनाओं अथवा आरंभ की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना प्रदायगी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते समय आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, एल्गोरिथमिक पूर्वाग्रह और भेदभाव को रोकने और लाभार्थियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कोई दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रमों में प्रयुक्त एआई प्रणालियों की स्वतंत्र लेखापरीक्षा, प्रभाव आकलन और आवधिक समीक्षा करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे मूल्यांकनों के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और निगरानी व्यवस्था में पारदर्शिता, दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है। मंत्रालय डिजिटल अभिशासन और नागरिक-केंद्रित सेवा प्रदायगी को सुदृढ़ करने के लिए, जहां भी उपयुक्त समझा जाए, इंडियाएआई मिशन के व्यापक तंत्र के तहत स्वायत्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के सहयोग से उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग की संभावनाएं भी तलाशता है। इनमें एआई-सक्षम बहुभाषी चैटबॉट, वर्चुअल असिस्टेंस और इंटेलिजेंट डिजिटल इंटरफेस शामिल हैं, जो हज सेवाओं (जैसे हज सुविधा ऐप) और मंत्रालय की अन्य पहलों से संबंधित क्षेत्रों में उपयोग किए जा सकते हैं। ऐसी किसी भी तकनीक का उपयोग भारत सरकार के यथा लागू नीतिगत ढांचे और प्रासंगिक कानूनी एवं विनियामक प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

सरकार ने देश में एक सुदृढ़, समावेशी एवं उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारितंत्र की स्थापना के उद्देश्य से इंडियाएआई मिशन को स्वीकृति प्रदान की है। इस मिशन में सात प्रमुख स्तंभ शामिल हैं, जिनमें इंडियाएआई कंप्यूट, फाउंडेशन मॉडल्स, इंडियाएआई एप्लिकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इंडियाएआई फ्यूचरस्किल्स, एआईकोष

(इंडियाएआई डेटाबेस प्लेटफॉर्म), सुरक्षित एवं विश्वसनीय एआई तथा इंडियाएआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग शामिल हैं। जिनका उद्देश्य स्वदेशी एआई क्षमताओं को बढ़ावा देना, नवाचार को प्रोत्साहित करना, उत्तरदायी एआई के विकास एवं उपयोग को सुनिश्चित करना तथा विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन को गति प्रदान करना है।

5 नवम्बर 2025 को जारी इंडिया एआई गवर्नेंस दिशानिर्देश, सुरक्षित, उत्तरदायी एवं समावेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करते हैं। ये दिशानिर्देश विश्वास, व्यक्ति-प्रथम दृष्टिकोण, प्रतिबंधों के बजाय नवाचार, निष्पक्षता एवं समानता, जवाबदेही, डिजाइन द्वारा बोधगम्यता तथा सुरक्षा, लचीलेपन एवं निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित हैं।

गोपनीयता, निजता, डेटा संरक्षण, सूचना सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अभिगम नियंत्रण तथा उत्तरदायी उपयोग से संबंधित उपयुक्त सुरक्षा उपाय किसी भी प्रौद्योगिकी-सक्षम समाधान के अभिन्न अंग होते हैं। जहां कहीं व्यक्तिगत डेटा का विश्लेषण किया जाता है, वहां यह डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 तथा अन्य लागू विधिक प्रावधानों के अधीन होता है, इन प्रावधानों में यथा लागू तर्कसंगत सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन, शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना तथा अन्य वैधानिक अपेक्षाओं का अनुपालन शामिल है।

मंत्रालय की डिजिटल पहलें उसकी विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के समग्र प्रशासन तथा निगरानी व्यवस्था के अंतर्गत कार्यान्वित की जाती हैं। अतः अल्पसंख्यकों के लिए एआई विज़न केंद्रों से विशेष रूप से संबंधित जानकारी जैसे आवेदन, स्वीकृतियां, निधि आवंटन, लाभार्थियों की संख्या तथा परिणामों का आकलन अलग से नहीं रखा जाता है।
